

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनुपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

कैम्प कोर्ट का स्थान : शांति चंचापरत - 4 एल.एम.एम.

**अनवान**

रोहित बनाम सरका  
दावा बाबत कालगत चारा - 88 राज. का.ल. अभिनिमित्त  
मुकदमा नम्बर 20/2020  
निर्णय दिनांक 5/11/2022

वादी की ओर से र. ल. पं. की व प्रतिवादी की ओर से  
तहकीलदा, कुम्हार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक को  
प्रियंका तलानिया उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वाक - चक - 8 LM '8' तहकील कुम्हार का सु. नं. 19  
पं. सं. - 280/483 व चक 2 NM के सु. नं. - 18 पं. नं. 28/56  
के 1/3 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में का. का नाम रोहित  
कुमार के स्थान पर रोहित की पुकड़ी की जारी टी. नं.  
तहकीलदा, कुम्हार को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराफ्त करने  
के लिये कि अवैध खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/11/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

प्रियंका तलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
अनुपगढ

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका का तामील		7. आदेशिका का तामील	
जोड़		जोड़	

